

**केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण:
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23**

किसी कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाली मुख्य परिवर्तनशील कारक सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती हैं। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति को भी दर्शाते हैं।

सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों का उसके राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का विस्तृत विश्लेषण तथा सुव्यक्त निरूपण और सरकार की विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यक कार्यक्रम आयोजना अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत सृजित हो रहे राजस्व प्रभावों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार की आय को प्रभावित करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर नीति में उल्लिखित व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण सरकार द्वारा कराधान प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व विवक्षाओं का एक विस्तृत विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक "परित्यक्त राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है, क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुबंध-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में यह अनुबंध-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में, यह अनुबंध -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पूर्व में उल्लेख किए गए अनुसार इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताओं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दर्ज किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है: -

- (क) प्राक्कलनों और अनुमानों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समग्र आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षाएं उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का यह मानते हुए अलग से निर्धारण किया जाता है कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं। हालांकि, कई कर रियायतें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव, प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों को जोड़कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ लक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर चल रही हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाएं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करता है। त्वरित मूल्यहास की व्यवस्था पूंजी निवेश को प्रोत्साहित भी प्रदान किया जाता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विवरण में कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों की निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कॉर्पोरेट और गैर- कॉर्पोरेट आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उन्हीं के प्रति विशिष्ट हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगे संस्थानों का विवरण भी "धर्मार्थ संस्थान" शीर्षक के तहत अलग से दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान चार वर्षों (वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23)¹ के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेने के बाद लगाया गया है।

क. कॉर्पोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 [अर्थात् आकलन वर्ष 2022-23] के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 1,025,717 कॉर्पोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपनी आय के लिए 6,40,395.75 करोड़ रु. [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉर्पोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने अधिनियम की धारा 115ठक के तहत शेयरों के बॉय-बैक के संबंध में 'वितरित आय' पर 8,350.40 करोड़ रु. के अतिरिक्त कर का भुगतान किया है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इसे विवरण के तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में दर्शाया गया है। तालिका 1 इन कंपनियों को विभिन्न लाभ श्रेणियों में दर्शाया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

- 4,95,939 कंपनियों (48.32 प्रतिशत) ने 28,59,437.10 करोड़ रु. कर -पूर्व लाभ और कुल आय (कर योग्य आय) के रूप में 22,13,914.06 करोड़ रु. की सूचना दी है।
- 4,83,246 कंपनियों (97.11 प्रतिशत) ने 7,85,036.88 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 46,832 कंपनियों (4.57 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर² 23.26 प्रतिशत थी [जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिपोर्ट की गई दर 22.20 प्रतिशत थी], वही एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत (उप कर सहित), 10 करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) और 10 करोड़ रु. से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115खक के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, वैधानिक कर

¹ वित्त वर्ष 2020-21 को औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आलोकन करने के लिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण एक असाधारण वर्ष था।

² कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) और करों से पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ, (इसके बाद पीबीटी), वाली कंपनियों का कुल पीबीटी में हिस्सा 62.54 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 54.90 प्रतिशत था। लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार के लिए 23.26 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22.20 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है।

500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 20.42 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रु. से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या इन्होंने 22 प्रतिशत और उपकर और अधिभार की न्यूनतर कर दर की नई व्यवस्था का चयन किया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रु. की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 93.35 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 73.01 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

**तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की श्रेणी में कंपनियों की प्रोफाइल
(वित्तीय वर्ष 2021-22) (कंपनियों की संख्या - 10,25,717)**

क्र.सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (में %)	कर पूर्व कुल आय और लाभ का अनुपात (% में)	कुल आय की तुलना में कर का अनुपात (में %)	प्रभावी कर दर (% में) (कर लाभ अनुपात)
1	शून्य से कम	483,246	लागू नहीं	0.51	0.49	लागू नहीं	23.24	लागू नहीं
2	शून्य	46,832	लागू नहीं	19.04	8.62	लागू नहीं	10.93	लागू नहीं
3	0-1 करोड़ रु.	422,389	1.91	1.86	1.98	93.35	25.83	24.11
4	1-10 करोड़ रु.	56,472	6.18	5.66	6.11	88.24	26.07	23.01
5	10-50 करोड़ रु.	11,888	8.95	8.02	8.75	86.29	26.36	22.75
6	50-100 करोड़ रु.	2,110	5.11	4.54	4.96	85.58	26.38	22.58
7	100-500 करोड़ रु.	2,102	15.31	12.93	14.19	81.19	26.54	21.55
8	500 करोड़ रु. से अधिक	678	62.54	47.44	54.90	73.01	27.96	20.42
सभी कंपनियां		10,25,717	100.00	100.00	100.00	96.25	24.16	23.26

तालिका 2 में प्रभावी कर दरों में कंपनियों का प्रतिदर्श दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 6,46,949 कंपनियों का, कर-पूर्व कुल लाभ का 34.84 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 16.01 प्रतिशत और कुल करों का 17.985 प्रतिशत हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (6,46,949 यानी 63.07 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन 47,005 कंपनियों ने कुल लाभ का 4.54 प्रतिशत और कुल करों का 9.30 प्रतिशत हिस्सा दिया, उनकी प्रभावी कर दर 34.69 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से क्रानून में प्रदत्त विभिन्न कर वरीयताओं, जिन्हें इन कंपनियों ने प्राप्त किया है, के कारण है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 20-30% के प्रभावी कर दर के दायरे में 2,63,911 के प्राप्तियां आती हैं, कर पूर्व लाभ में जिनकी हिस्सेदारी 50% (56.39%) से अधिक है और कर देयता में जिनकी हिस्सेदारी 66.5% है। ईटीआर के दायरे में आने वाली के प्राप्तियों की प्रतिशतता 27.72% है। यह कुल कर में इन के प्राप्तियों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 की तुलना में 4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह परिणाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक और 115खकख में निहित व्यवस्था के माध्यम से कारपोरेट कर दर के युक्तिसंगत बनाए जाने के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है।

तालिका 2: प्रभावी कर दरों की श्रेणी में कंपनियों का प्रोफाइल*

क्र.सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कंपनियों की सं.	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कर देयता में हिस्सा (% में)
1	शून्य और शून्य से कम	530,987	8.17	0.63	0.54
2	0-20	115,962	26.66	15.38	17.45
3	20-25	57,506	23.52	26.79	25.49
4	25-30	206,405	32.87	42.44	41.01
5	30-33	21,020	4.24	5.98	6.21
6	>33	47,005	4.54	8.78	9.30
7	अनिर्धारित(पीबीटी = 0)	46,832			
	कुल	10,25,717	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 3 में निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना की गई है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2021-22) [कंपनियों की संख्या - 10,25,717]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	सार्वजनिक #	10,25,516	82.54	86.93	24.18
2	निजी	201	17.46	13.07	18.89
	सभी कंपनियां	10,25,717	100	100	23.26

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

निर्धारित कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा उनके संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

तालिका 4 में कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शाया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की 22.64 प्रतिशत की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 23.62 प्रतिशत का उच्चतर प्रभावी कर दर है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.69 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2021-22) [कंपनियों की संख्या-10,25,717]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	विनिर्माण	1,51,225	36.76	35.78	22.64
2	गैर-विनिर्माण	8,74,492	63.24	64.22	23.62
	सभी कंपनियां	10,25,717	100.00%	100	23.26

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 5 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं के संबंध में प्रमुख कर व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यह विश्लेषण 31 मार्च, 2023 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रत्येक कटौती की राशि पर भारत औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.69 प्रतिशत³ लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास,

³ एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की भारत औसत कर दर लेने के बाद औसत वैधानिक कर दर निकाली गई है।

कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.69 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब किया जाता है जब करदाता, कर कानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती की अनुमति (जैसे मूल्यहास में अनुमति) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यहास का दावा कई वर्षों में अपने ही खातों में फैला सकता है। चूंकि मूल्यहास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, अंकित लाभ पर 15 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अध्यक्षीन) पर लगता है, और यह तब लगता है जब यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक हो। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के उस वर्ष में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यहास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों, जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों, के राजस्व प्रभाव में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी वृद्धि दर की गणना 12.84% की गई थी।

तालिका 5 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाया गया है।

**तालिका 5: कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23)
[कंपनियों की संख्या - 10,25,717]**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2022-23]
1	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	24,677.18	27,845.73
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	21,477.69	24,235.43
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1),(2कक) और (2कख))	2,557.02	2,885.34
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1,517.96	1,712.87
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,132.90	1,278.36
6	राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	1,775.46	2,003.43
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	8,213.25	9,267.83
8	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	15,286.40	17,249.17
9	बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	102.22	115.34
10	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती	695.25	784.52
11	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख)	265.93	

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2022-23]
12	खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	123.12	138.93
13	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख)	12.99	14.66
14	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	5.61	6.33
15	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	125.78	141.93
16	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक)	410.68	463.41
17	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड)	1,977.92	2,231.89
18	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड)	3,866.06	4,362.46
19	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	8.62	9.73
20	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जकक)	2,632.94	2,971.01
21	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक)	1.04	1.17
22	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के कुछ आय को संबंध में कटौती 80-ठक (1क)	178.16	201.04
23	कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती (80छकक)	12.37	13.96
24	निर्माता कंपनियों की कुछ आय के संबंध में कटौती (80तक)	18.46	20.83
कुल		87,075.01	98,255.44
घटाएं : एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर		(-9817.38)	-11,077.93
एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता के रूप में गणित ` 24613.44 करोड़			लागू नहीं
(-) दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया ` 34430.82 करोड़			लागू नहीं
कुल परित्यक्त राजस्व		96,892.39	109,333.38

विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेड में स्थित इकाइयों द्वारा हासिल कटौती (क्रम सं.1), त्वरित मूल्यहास (क्र.सं.2), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में संलग्न उपक्रमों के लाभ की कटौती (सं.8), अवसंरचना सुविधाओं के विकास में संलग्न उपक्रम (क्रम.सं.7), सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (क्र.सं.18), नए कारीगरों को रोजगार के संबंध में कटौती (सं.20), वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौती (क्र.सं.3) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (सं.17), विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्र.सं.4), कुल कर प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के दानों के कारण कटौती वित्त वर्ष 2020-21 (1274.99 करोड़) के दान की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (1132.90 करोड़) कम हुई है।

कंपनियों के प्रभावी कर-दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट की तालिका में दिया गया है। चाय उगाने और विनिर्माण (15.57%), इस्पात उत्पादों का विनिर्माण (18.11%) और कागज एवं कागज उत्पाद के विनिर्माण (20.21%) के लिए प्रभावी कर-दर कम दर समूह में हैं। प्रभावी कर दरों की तुलना में कम कर-दरों का लाभ लेने वाले कुछ अन्य क्षेत्र हैं हार्ड कोल का एग्लोमेरेशन (17.65%) और संशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण (21.15%)। प्रभावी कर दर कर-पूर्व लाभ के लिए देय सकल कर के योग का अनुपात है।

इसके अलावा, कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकख को कराधान कानून (संशोधन)

अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया था। इसमें ऐसी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और ऐसी नव-निगमित घरेलू कंपनियों (01 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित और पंजीकृत) के लिए 15% की रियायती कर दर की व्यवस्था की गई है, जो इस तरह की विनिर्मित मद या वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण 31 मार्च, 2024 से शुरू करती हैं। यह रियायत कतिपय शर्तों के अधीन है जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं, जो कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं उठाती हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती करारोपित व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वे किसी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करें।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव के विश्लेषण (तालिका 5.1 में किया गया) से यह स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कारपोरेट विवरणी में से अधिनियम की धारा 115खकक के तहत करारोपित कुल आय 15,48,040.43 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में समान धारा के तहत करारोपित आय (11,92,851.30 करोड़ रुपए) से 29.77% अधिक है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन करारोपित कुल आय 2360.64 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2020-21 में धारा 115खकख के अधीन करारोपित आय (770.13 करोड़) से 206.5% अधिक है। इस प्रकार, कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था अपनाने की प्रवृत्ति जारी है, जो उत्साहजनक है।

तालिका 5.1 : रियायती कर व्यवस्था के तहत आय और पुरानी कर व्यवस्था के तहत आय की तुलना
(वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्र.सं.	कुल आय के स्लैब (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कंपनियों की संख्या (115बीएए के तहत)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कंपनियों की संख्या (115बीएबी के तहत)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कंपनियों की संख्या (पहले की कर दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल आय (115बीएए के तहत) (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल आय (115बीएबी के तहत) (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल आय (पहले की टैक्स दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत) (करोड़ में)
1	0-1	15,227.55	17,086.42	235.08	171.73	33,123.58	24,655.94
2	1-10	81,588.75	77,903.02	843.57	418.52	82,328.45	51,162.16
3	10-50	1,45,239.29	1,24,743.04	1,066.09	179.87	1,13,796.76	72,888.96
4	50-100	94,167.00	72,638.16	215.91	-	65,764.04	42,349.08
5	100-500	2,95,164.99	2,30,990.20	0	-	2,15,906.21	1,32,004.85
6	>500	9,16,652.84	6,69,490.46	0	-	6,90,333.22	4,27,711.70
	कुल	15,48,040.43	11,92,851.30	2,360.64	770.13	12,01,252.25	7,50,772.69

ख. गैर-कारपोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बड़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-2022 की आय के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 17,24,125 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 17,24,125 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: -

- सभी फर्मों/एओपी/बीओआई ने 3,55,649.81 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 5,00,936.81 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 3,46,591 रिटर्न से नुकसान दर्ज किया गया जो कुल का 20.10 प्रतिशत है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 1,22,094.90 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 34.09 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से और प्रत्येक कर दर स्लैब में आने

वाले देय सकल कर के साथ एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.09 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 12.84 % की गई थी।

तालिका 6 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 61.02 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 53.89 प्रतिशत है। एसईजेड में स्थापित इकाइयों (धारा 10एए के तहत), आवासन परियोजनाओं (धारा 80-झख के तहत) और त्वरित मूल्यहास (धारा 32 के तहत) के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 19.16 प्रतिशत, 8.63 प्रतिशत और 3.47 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र, यानी फर्मों/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 7,731.61 करोड़ रुपए होगा।

तालिका 6: गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं [फर्म/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव [2021-22] (करोड़ रुपए में)	राजस्व प्रभाव [2022-23] (करोड़ रुपए में)
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	1,727.95	1,949.82
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	312.83	353.00
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	5.92	6.68
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	65.08	73.44
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	180.18	203.32
6	राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग)	90.15	101.73
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	84.73	95.61
8	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	357.38	403.27
9	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80-झकख)	108.72	122.68
10	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80-झख)	56.98	64.30
11	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	8.29	9.35
12	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	72.64	81.97
13	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	778.79	878.79

14	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	209.30	236.18
15	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	30.55	34.47
16	अतराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	0.807	0.91
17	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	0.128	0.14
18	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	11.02	12.43
19	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जककक)	46.12	52.04
20	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक)	0.14	0.16
21	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त)	4,860.33	5,484.40
22	बैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के लिए कटौती (धारा 80छछक)	6.3	7.11
23	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक(1क)	4.34	4.90
कुल		9,018.68	10,176.68

*कोविड प्रभावित होने के कारण 2020-21 की गणना नहीं की गई है।

ग. व्यष्टि/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती प्रदान करता है। व्यष्टि/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात् कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यष्टि करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 7,12,70,191 विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय का आनुमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 12.84% आंकी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) के लिए दायर कुल 7,12,70,191 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

- (i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 27 और 28), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के आंकड़ों के मुताबिक, 11.64 प्रतिशत विवरणियों को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.74 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल की गयी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 250,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 300,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए परिकलित किया गया है।
- (ii) व्यष्टियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय 90,546.13 करोड़ रूपए की राशि है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय अधिनियम की धारा 87क के तहत छूट के कारण 36,292.90 करोड़ रूपए की राशि है।

(iv) धारा 80गघ के अधीन नई पेंशन योजना में अंशदान पर कटौती और धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा किश्त के लिए कटौती का भी समग्र आंकड़ों में क्रमशः 11,354.776 करोड़ और 9,783.68 करोड़ का योगदान था।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, तालिका 7 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानों के लिए, कर व्यय के संदर्भ में, व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

**तालिका 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2022-23]
1	कुछ निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	90,546.13	102,172.25
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	313.02	353.21
3	नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	11,354.76	12,812.71
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	9,783.68	11,039.90
5	दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	1,350.08	1,523.43
6	विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	1,867.71	2,107.52
7	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	1,388.41	1,566.68
8	रिहायसी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	400.13	451.51
9	कतिपय आवासीय संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80डडक)	771.48	870.54
10	इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के संबंध में कटौती (धारा 80डडख)	222.69	251.28
11	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,594.97	1,799.76
12	आवास मकान के लिए भुगतान किए गए किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,715.79	1,936.10
13	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	13.75	15.52
14	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	1,650.46	1,862.38
15	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली उत्पादन और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	79.77	90.01
16	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1.27	1.43
17	आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	155.29	175.23
18	आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय तथा जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित	22.72	25.64

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2022-23]
	औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख)		
19	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	27.07	30.55
20	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जजक)	4.11	4.64
21	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80जजकक)	14.77	16.67
22	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	7.95	8.97
22	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.37	0.42
23	बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	2,064.93	2,330.07
24	निवासी वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा धनराशि पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80टीटीवी)	3,463.70	3,908.44
25	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	618.09	697.45
26	धारा 87क के अंतर्गत छूट	36,292.90	40,952.91
27	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	2,157.43	2,434.44
28	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	682.87	770.55
	कुल	168,566.30	190,210.21

व्यष्टि करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यष्टियों के मामले में कर पर छूट, नई पेंशन योजना में अंशदान और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण हैं। लाभ-आधारित कटौतियों के संबंध में, अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झग के कारण है।

घ. धर्मार्थ संस्थान

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाले कतिपय क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन संस्थानों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रियाकलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे संस्थानों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन संस्थानों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 दिसम्बर, 2023 तक ऐसे संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 207,675 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 8,17,187.15 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

पूरे उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित
(वित्तीय वर्ष 2021-22) (कंपनियों की संख्या - 10,25,717)

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
1	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	7711	386.61	1254.27	30.82
2	कृषि, पशुपालन और वानिकी	मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन	750	354.51	1411.05	25.12
3	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय का उत्पादन और विनिर्माण	1167	226.43	1454.32	15.57
4	कृषि, पशुपालन और वानिकी	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	13593	699.06	4069.58	17.18
5	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी, फिश हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं	96	6.38	28.49	22.41
6	मत्स्य पालन	अन्य	744	86.88	538.97	16.12
7	खनन और उत्खनन	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	157	13338.33	58512.64	22.80
8	खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और ढेर	128	6374.15	36123.92	17.65
9	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन	50	7516.65	34654.76	21.69
10	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	226	3211.47	12375.51	25.95
11	खनन और उत्खनन	अन्य	4081	2429.64	8226.43	29.53
12	विनिर्माण	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	387	25246.12	119357.42	21.15
13	विनिर्माण	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण	7260	27939.89	115068.76	24.28
14	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	600	9368.91	35454.08	26.43
15	विनिर्माण	मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का विनिर्माण	3313	10044.36	42849.53	23.44
16	विनिर्माण	इस्पात उत्पादों का विनिर्माण	4128	27885.63	153999.71	18.11
17	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	4657	12337.84	49505.73	24.92
18	विनिर्माण	तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	351	5251.30	22297.71	23.55
19	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हथकरघा से किए जाने के अलावा)	9548	8786.49	38706.71	22.70
20	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण	2675	1100.73	5270.86	20.88
21	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का विनिर्माण	707	6807.24	28377.62	23.99

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
22	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	4871	2615.72	10799.91	24.22
23	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपकरण का विनिर्माण	308	2223.62	8416.26	26.42
24	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	370	1129.44	4349.32	25.97
25	विनिर्माण	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का विनिर्माण	1168	3420.19	15982.00	21.40
26	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1180	1999.81	8125.87	24.61
27	विनिर्माण	पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का विनिर्माण	801	2033.57	7690.43	26.44
28	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	3684	2488.03	10279.37	24.20
29	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2828	1432.38	7087.19	20.21
30	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	218	1492.93	5279.52	28.28
31	विनिर्माण	अन्य	102171	84327.64	362232.22	23.28
32	विद्युत, गैस और जल	गैस का निर्माण और वितरण	389	4335.36	18494.61	23.44
33	विद्युत, गैस और जल	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा एन.ई.सी	1777	442.73	3315.07	13.36
34	निर्माण	सड़कों, रेल, पुल, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव	5807	10987.30	49555.19	22.17
35	निर्माण	पूर्ण निर्माण या पार्ट्स सिविल ठेकेदार का भवन	19028	3285.32	16644.13	19.74
36	स्थावर सम्पदा एवं रेंटिंग सेवाएं	लॉट में अचल संपत्ति का विकास और उप-विभाजन	9484	1734.44	17699.48	9.80
37	स्थावर सम्पदा एवं रेंटिंग सेवाएं	स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैर-आवासीय) वाली अचल संपत्ति का संचालन	3787	1278.28	6479.40	19.73
38	स्थावर सम्पदा और रेंटिंग सेवाएं	पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना	6203	1228.61	5995.42	20.49
39	स्थावर सम्पदा और रेंटिंग सेवाएं	शुल्क पर या अनुबंध के आधार पर अचल संपत्ति गतिविधियां	6253	406.53	1855.08	21.91
40	थोक एवं खुदरा व्यापार	थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और उपकरण	3815	1651.03	6239.41	26.46
41	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	4028	1206.90	5940.73	20.32
42	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति का थोक	3100	900.05	3398.97	26.48

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
43	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य	179716	34137.87	146041.60	23.38
44	परिवहन एवं संभारतंत्र सेवाएं	परिवहन एवं संभारतंत्र सेवाएं - सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन	4330	1179.79	4887.71	24.14
45	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर	376	42297.64	158827.13	26.63
46	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ	2283	5862.62	25579.52	22.92
47	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	49249	114360.32	418220.58	27.34
48	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	26318	50603.50	214645.88	23.58
49	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	25837	15117.34	68502.31	22.07
50	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2207	2961.98	11516.14	25.72
51	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य	19165	3674.43	12568.08	29.24
52	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप एन.ई.सी.	1930	572.14	2474.87	23.12
53	व्यवसाय	इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श	4983	1493.14	4913.91	30.39
54	व्यवसाय	व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियां	7971	1715.19	8057.42	21.29
55	व्यवसाय	विज्ञापन	2472	448.90	1869.90	24.01
56	व्यवसाय	वास्तुकला व्यवसाय	1135	58.31	218.38	26.70
57	व्यवसाय	अन्य	23092	1889.32	7298.88	25.89
58	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	734	43.94	153.10	28.70
59	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	2334	2151.14	9457.47	22.75
60	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	निदान केंद्र	1919	688.03	2965.21	23.20
61	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	सामान्य अस्पताल	2883	609.06	2584.79	23.56
62	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	अन्य	14686	1446.81	5644.55	25.63
63	संस्कृति और खेल	टेलीविजन चैनल प्रसारण	488	2907.82	10690.54	27.20
64	संस्कृति और खेल	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	6620	1170.02	5772.48	20.27
65	होटल, रेस्तरां और स्वागत सेवाएं	स्टार रेटेड होटल	20775	1297.01	7020.81	18.47
66	परिवहन और संभारतंत्र सेवाएं	ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर	18521	6177.14	28383.87	21.76
67	डाक और दूरसंचार	डाक और कुरियर कार्यकलाप	2771	3325.82	35690.77	9.32
68	अनुसंधान और विकास	प्रकृति विज्ञान और यांत्रिकी	351	51.45	190.88	26.95

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
69	शिक्षा सेवाएं	सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी शिक्षा	13996	1086.84	3781.59	28.74
70	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	आवास सहित सामाजिक कार्य के कार्यक्रमलाप (अनाथालय तथा वृद्धों के लिए घर)	4678	26.99	89.06	30.31
71	अन्य सेवाएं	हेयर ड्रेसिंग और अन्य सुंदरता उपचार	236855	33883.77	117416.18	28.86
72	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन संग्रहण और वितरण	8063	7020.73	61626.81	11.39
73	निर्माण	भवन संस्थापन	46793	7183.13	33629.96	21.36
74	रियल स्टेट और किराया (रेंटिंग) सेवाएं	अन्य रियल स्टेट/रेंटिंग सेवाएं एन.ई.सी	38483	4552.78	26122.43	17.43
75	मशीनरी किराए पर देना	भूमि परिवहन उपकरण किराए पर देना	2299	284.58	1345.08	21.16
76	होटल, रेस्तरा और आतिथ्य सेवाएं-होटल	होटल नॉनस्टार रेटेड	2	4.05	10.10	40.06
77	परिवहन और संचार सेवाएं	पैसेंजर भूमि परिवहन	11	730.00	3561.71	20.50
78	डाक और दूरसंचार	आधारभूत टेलीकॉम सेवाएं	4	3253.89	19973.22	16.29
79	अन्य सेवाएं-अन्य सेवाएं एन.ई.सी	अन्य सेवाएं एन.ई.सी.	22	1893.66	4535.95	41.75
80	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन, संग्रहण और वितरण	23	7956.76	43898.73	18.13
81	रियल स्टेट और रेंटिंग सेवाएं	अन्य रियल स्टेट/रेंटिंग सेवाएं एन.ई.सी.	2	14.35	57.40	25.00

*केवल लाभ कमाने वाली कंपनियों (अर्थात् पीबीटी > 0) पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए सीमाशुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत माल पर सीमाशुल्क वसूला जाता है (इसे आम तौर पर मूल सीमाशुल्क - बीसीडी कहा जाता है)। कतिपय मदों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्यात शुल्क भी वसूला जाता है।

2.1 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यष्टि टैरिफ की सीमा के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को आम तौर पर "टैरिफ दरें" कहा जाता है। इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियमों में टैरिफ दरों से कमतर सीमाशुल्क दरें अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया जाता है [सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत वसूले जाने वाले शुल्कों पर भी लागू किया गया है]। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई इन दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

(ii) बिना शर्त की छूट अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त की छूट अधिसूचनाओं में किसी माल के लिए सीमाशुल्क की सामान्य प्रभावी दरें निर्धारित की जाती हैं। ये दरें उक्त माल के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती हैं। अन्य शब्दों में, ऐसी बिना शर्त की छूटें किसी सामान के लिए प्रभावतः एमएफएन दर निर्धारित करती हैं।

2.4 सशर्त छूटें, दूसरी ओर, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च टैरिफ दर या एफएन दर की तुलना में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावी दरों को निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, रक्षा खरीद, आदि। ऐसे मामलों में, केवल ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने संबंधी आयात ही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होंगे। वस्तुतः, ऐसी छूटों के परिणामस्वरूप प्रासंगिक टैरिफ/ एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 **निर्यात योजनाओं के तहत सीमाशुल्क रहित आयात:** निर्यात सामानों में लगने वाले कच्चे माल और इनपुट की खरीद के लिए कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। वस्तुतः, ऐसी छूटें निर्यातों की शून्य रेटिंग के लिए निर्यातों पर कर को निष्प्रभावी करने मात्र का कार्य करती हैं। निर्यातों की शून्य रेटिंग पर लक्षित की जा रही ये छूटें प्रभावी रूप से, बीसीडी रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व का कारण नहीं बनती हैं।

2.6 **स्क्रिप दर के माध्यम से प्रदान की गई निर्यात से जुड़ी छूटें या प्रोत्साहन :** निर्यातकों को छूट या प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कुछ योजनाएं हैं। निर्यात सामानों पर राज्यों और केंद्र के कुछ निहित करों वसूलियों के बदले छूट दी जाती है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसी कुछ योजनाएं हैं जो प्रोत्साहन आधारित होती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, मुक्त रूप से व्यापार योग्य स्क्रिप के रूप में ऋण अनुमत है। इस ऋण को आयातों पर मूल सीमाशुल्क (सीबीडी) के किसी भुगतान के लिए समाप्त किया जा सकता है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप के उपयोग को वर्ष 2020-21 तक परित्यक्त राजस्व के रूप में माना गया था। तथापि, परिवर्तित लेखांकन प्रक्रिया में, वास्तविक प्रकृति पर विचार करते हुए स्क्रिप के माध्यम से किए गए सीमाशुल्क भुगतान को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातकों को इस प्रकार अनुमत किए गए सीमाशुल्क ऋण को व्यय के रूप में गिना जाता है। यह संशोधित पद्धति 2021-22 से अपनाई गई है और वर्ष 2023-24 में भी यही पद्धति जारी है।

3. **एफटीए :** भारत ने कई देशों या देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते और समग्र आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं। समान रूप से, भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौता-1 का भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस समझौते के तहत, भारत ने ऐसे समझौते के तहत शामिल किए गए विशिष्ट सामानों पर कमतर दर/छूट हेतु स्वयं को बाध्य कर लिया है। ये वरीय टैरिफ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। स्वतंत्र दायित्वों के भाग के रूप में प्रदान की गई ऐसी वरीय टैरिफ दरें, ऐसे समझौतों में शामिल आयातों के लिए लागू सामान्य दर भी होती हैं।

4. इसलिए, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार, चूंकि बिना शर्त की छूटें और स्वतंत्र देयताओं के तहत प्रदत्त छूटें संबंधित माल के लिए प्रभावतः एमएफएन (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर छूटों के राजस्व प्रभाव के लिए अधिक उपयुक्त अनुमान मात्र सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व ही होगा।

5. **वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए राजस्व प्रभाव मूल्यांकन :** विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान आयातकों द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में दायर की गई आगम पत्र (बिल्स ऑफ एंट्री) से किया जाता है। आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयातों के मामले में परित्यक्त राजस्व का बाह्यकलन करने के लिए अतिरिक्त प्रक्षेप किया जाता है। वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कुल आयातों का 96% और वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए कुल आयातों का 95% आईसीईएस के माध्यम से किया गया।

6.1 ऊपर दी गई कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए सीमाशुल्क पक्ष पर कर छूटों का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:

तालिका I : मूल सीमाशुल्क संबंधी कर छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24) (अनुमानित)
क.	ईडीआई डाटा के अनुसार टैरिफ दर के कम विभिन्न दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	क.1+क.2+क.3	3,81,520	3,55,204
के कारण :-				
क.1	ईडीआई डाटा के अनुसार बिना किसी शर्त/ तकनीकी बीसीडी छूटें	-	2,69,900	2,30,610
क.2	ईडीआई डाटा के अनुसार एफटीए/पीटीए/ सीईसीए/ सीईपीए (तालिका II देखें)	-	78,993	89,205
क.3	सशर्त बीसीडी छूटें- ईडीआई अवस्थान (तालिका III देखें)	-	32,627	35,389
ख.	सशर्त बीसीडी छूटों का परित्यक्त राजस्व (ईडीआई + गैर-ईडीआई अवस्थान)	(क.3)x100/ड#	33,986	37,252
ग.	इनपुट कर निष्प्रभावीकरण योजना के कारण राजस्व प्रभाव (संदर्भ तालिका IV)	-	68,380	96,325
घ.	सकल परित्यक्त सीमाशुल्क (सीमाशुल्क टैरिफ छूटों के कारण)	-	33,986	37,252

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी एवं मुख्य सीसीए

#ड अतिरिक्त बाह्यकलन कारक हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए 96 प्रतिशत के समान तथा वर्ष 2023-24 के लिए 95 प्रतिशत के समान है इन्हें आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयतों को शामिल करने के लिए बनाया गया है।

6.2 ईडीआई डाटा के अनुसार वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर की तालिका I में क्र.सं. क.2 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है:

तालिका II: एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24)
1	एएसईएन देशों से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	32,609	37,269
2	जापान से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	9,504	10,312
3	कोरिया से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	10,462	9,873
4	एलडीसी से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	9,994	9,235
5	आस्ट्रेलिया से आयातित विशेष माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी)	1,537	6,416
6	वांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं अफगानिस्तान से आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	6,447	6,404
7	यूएई(सीईपीए) से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 1 सई 2022 से प्रभावी)	713	1,847
8	मलेशिया से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	962	1,189
9	अन्य	6,765	6,660
कुल		78,993	89,205

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. क.3 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका III: सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव (ईडीआई)

		(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2022-23)
1	मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयुक्त विशिष्ट माल को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 57/2017-सीमाशुल्क)	3,467	3,418
2	आईटीए बाउंड माल के विनिर्माण को बीसीडी छूटे के कारण (अधिसूचना सं 24/2005-सीमाशुल्क और 25/2005-सीमाशुल्क)	721	743
3	खनिज ईंधनों/खनिज तेल आदि पर बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं 52/2017-सीमाशुल्क)	591	245
4	सार्वजनिक वित्तपोषण या सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरणों को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 51/1996-सीमाशुल्क)	212	225
5	अन्य मदों के लिए दी गई छूट और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों के कारण (क्र.सं. 1 से 4 तक में उल्लिखित के अलावा)	27,636	30,758
कुल (ईडीआई)		32,627	35,389
कुल (ईडीआई + गैर ईडीआई)*		33,986	37,252

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. ग का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका IV: आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव

		(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	योजना का नाम	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24)
1	उन्नत प्राधिकरण योजना	17,531	25,119
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	7,783	7,443
3	ईपीसीजी	4,198	5,257
4	सीईजेड	37,951	57,345
5	शुल्क रहित आयात प्राधिकरण योजना	917	1,161
कुल		68,380	96,325

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

@एसईजेड के संबंध में वाणिज्य विभाग से आंकड़े प्राप्त हुए।